न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
3/2020	2020/00040	12.02.2020	28.09.2022

उनवान प्रकरण

सुवालाल सैनी पुत्र बालूराम सैनी, आयु 60 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 25 ढाणी पीपलावाली श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

—प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0) —अप्रार्थी

उपस्थितः—

श्री अमित कुमार ठठेरा, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा [illegible] रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.03 हैक्टर, [illegible] रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.22 [illegible]टर, खसरा नम्बर 74 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.10 10:22:35 IST
Reason: SelfAttested

28/09/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.36 हैक्टर कुल किता 16 रकबा 6.12 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि के 1/12 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज चली आ रही है परन्तु राजस्व कर्मचारियो की गफलत एवं लापरवाही के चलते उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में सुवालाल के स्थान पर ओधडमल नाम अंकित चला आ रहा है. जबकि समस्त सरकारी दस्तावेज मे प्रार्थी सुवालाल का नाम दर्ज चला आ रहा है। उक्त भूमि के 1/12 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी सुवालाल के नाम एव उनके भाई जगदीशप्रसाद 1/12 हिस्से व सोनीलाल 1/12 हिस्से के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं। राजस्व कर्मचारियों की गफलत एवं लापरवाही के चलते सुवालाल पुत्र बालूराम के स्थान पर ओधड़मल पुत्र बालूराम राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दिया गया। जबकि उक्त समस्त सरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी सुवालाल पुत्र बालूराम का नाम अंकित चला आ रहा हैं। उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में ओधड़मल पुत्र बालूराम को हटाया जाकर सुवालाल पुत्र बालूराम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड शुद्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। प्रार्थी ने इस बाबत् अप्रार्थी को निवेदन किया तो अप्रार्थी ने न्यायालय के आदेश पर ही शुद्धिकरण करने की बात कही। इसलिए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश करना लाजिमी हुआ हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.36 हैक्टर कुल किता 16 रकबा 6.12 है[illegible]स्व ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के [illegible] हिस्से की खातेदारी में प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.10 10:22:35 IST
Reason: SelfAttested

28/09/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नाम ओघड़मल पुत्र बालूराम के स्थान पर सुवालाल पुत्र बालूराम सही संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1402/भू.अ./2022 दिनांक 24.06.2022 के द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :–

मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम श्रीमाधोपुर के खसरा नम्बर 65 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 1.14 हैक्टर खसरा नम्ब्र 69 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.36 हैक्टर कुल किता 16 रकबा 6.12 हैक्टर भूमि के 1/12 हिस्से की खातेदारी ओघड़मल पुत्र सुवालाल के नाम से दर्ज है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर के गत खसरा नम्बर 47 मि, 48, 49 मिन थे तथा मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2028 से 2031 उक्त भूमि के 1/4 हिस्से की खातेदारी बालु पुत्र रेखा जाति माली के नाम दर्ज थी। बालु पुत्र रेखा के फौत होने पर उक्त भूमि में बालु पुत्र रेखा के हिस्से की 1/4 भूमि की खातेदारी जरिये विरासत नामान्तरण 267 दिनांक 10.04.1963 बालु के वारिसान ओघड़मल, जगदीश प्रसाद, सोनीलाल पि. बालु जाति माली के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी द्वारा अपना नाम राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि में ओघड़मल के स्थान पर सुवालाल दर्ज करवाना चाहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम [illegible] पुत्र बालुराम दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.05.2022 को उक्त भूमि के मौके पर [illegible] इस सम्बन्ध में अड़ौस–पड़ौस के काश्तकारों से जांच करवाने पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा भी ओधडमल व सुवालाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया तथा ओघड़मल पुत्र बालुराम नाम से अन्य कोई व्यक्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.10 10:22:35 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नही होने की पुष्टि की। उक्त तथ्यों के आधार पर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 1.14 हैक्टर खसरा नम्ब्र 69 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.36 हैक्टर कुल किता 16 रकबा 6.12 हैक्टर भूमि के 1/12 हिस्से की खातेदारी में खातेदार ओघड़मल पुत्र बालुराम के स्थान पर सुवालाल पुत्र बालुराम शुद्ध किये जाने की अभिशषां तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी ने भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर))

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, अजमेर विधुत वितरण निगम का विद्युत बिल, ममता सैनी, पार्षद वार्ड नं. 25 द्वारा जारी प्रमाण पत्र, साक्ष्य में जगदीश प्रसाद व बनारसी देवी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम सुवालाल पुत्र बालूराम समस्त दस्तावेजात् में सही होना स्पष्ट होता है जबकि जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता संख्या नया 159 में वर्णित खसरा नम्बरान् में प्रार्थी का नाम ओधड़मल पुत्र बालूराम हिस्सा 1/12 जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसे प्रार्थी ने गलत नाम अंकित होना बताया [illegible] जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम ओधड़मल पुत्र बालूराम हिस्सा 1/12 जाति [illegible] राजस्व कर्मचारियों की गफलत एंव लापरवाही के चलते उक्त भूमि के राजस्व रिक[illegible] में दर्ज किया जाना अंकित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.10 10:42:35 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 28/09/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

है। जबकि राजस्व कर्मचारियों की गफलत एंव लापरवाही कब व किस कार्मिक से हुई एंव किस जमाबन्दी सम्वत् में हुई। इस बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है एंव ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड ही पेश किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में पूर्व में सही नाम सुवालाल पुत्र बालूराम दर्ज रिकार्ड अंकित रहा हो। इसके बारे में वकील प्रार्थी ने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा की गई अभिशंषा रिपोर्ट अनुसार उक्त गलती जरिये विरासत के नामान्तकरण संख्या 267 दिनांक 10.04.1963 के द्वारा बालू की विरासत से उक्त नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये प्रार्थी के नाम के संशोधन में सुवालाल व ओघड़मल में काफी ज्यादा भिन्नता है। जो किसी भी रूप में एक समान नजर नहीं आता है। उक्त प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

28/09/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.10 10:22:35 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/09/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)